HARYANA VIDHAN SABHA
Bill No. 25 HLA of 2024

THE HARYANA TECHNICAL EDUCATION GUEST FACULTY (SECURITY OF SERVICE) BILL, 2024

A

BILL

to provide security of service to guest faculty/guest Instructors and for the matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-fifth Year of the Republic of India as follows:-

Short title, commencement and extent.

1. (1) This Act may be called the Haryana Technical Education Guest Faculty (Security of Service) Act, 2024.

(2) It shall come into force on such date, as the Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

(3) It shall extend to the whole of the State of Haryana.

Definitions.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,-

(a) "appellate authority" means the appellate authority, as the Government may, by notification in the Official Gazette, specify for the Directorate;

(b) "appointed date" means the 15th August, 2024;

(c) "appropriate authority" means appointing authority, as the Government may, by notification in the Official Gazette, specify for the Directorate;

(d) "Directorate" means the Directorate of Technical Education, Haryana;

(e) "Government" means the Government of the State of Haryana in the administrative department;

(f) "guest faculty" means a person engaged as Lecturer, Instructor or Assistant Professor in the institution on the appointed date;

(g) "institution" means the Government Polytechnics, Government Society Polytechnics, State Institute of Engineering and Technology under the Directorate;

(h) "prescribed" means prescribed by the rules made under this Act;

(i) "Schedule" means the Schedule appended to this Act;

(j) "Superannuation" means fifty-eight years of age.

Eligibility conditions.

3. The eligible guest faculty shall be a person who-

(i) was engaged on or before the 12th November, 2019, as per the qualifications prescribed in the Haryana Technical Education Department (Group-B) Service Rules, 2001; or

(ii) was engaged after the 12th November, 2019 as per the qualifications prescribed in the Haryana Technical Education Department (Group-B) Service Rules, 2019; or

(iii) was engaged in such branches for which no service rules were in force at the time of their engagement but was engaged as per the minimum qualifications mentioned in the advertisement; or

(iv) was engaged as Instructor as per the qualifications prescribed in the Haryana State Technical Education Department, Technical Field Staff (Group-C) Service Rules, 1998; or

(v) was engaged as Instructor in such branches for which no service rules were in force at the time of their engagement but was engaged as per the minimum qualifications mentioned in the advertisement; or

(vi) was engaged as Lecturer, Instructor or Assistant Professor as guest faculty in the institution and are in the service on the appointed date at the remuneration of Rs. 53,100/- for Lecturer (Guest Faculty), Rs. 35,400/- for Instructor (Guest Instructor) and Rs. 55,500/- for Assistant Professor (Guest Faculty) respectively per month; and

(vii) has completed at least five years engagement in the institution on the specified workload as on the appointed date.

Explanation.- For the purposes of calculation of the number of years of engagement, a guest faculty who has worked for at least 240 days in a calendar year shall be deemed to have worked for the entire year, but shall not include an employee who,-

(a) has attained the age of fifty-eight years on the appointed date; or

(b) has been terminated or removed by the appropriate authority or resigned on or before the appointed date.

Tenure of engagement.

4. The guest faculty shall continue to work as such in the institution till he attains the age of superannuation.

Remuneration.

5. (1) The guest faculty shall be entitled to such remuneration, as per the guidelines of the Government plus enhancement (non-compounding) as per the percentage of Dearness Allowance announced by the Government, with effect from the first day of January and the first day of July every year.

(2) The guest faculty shall also receive the additional benefits, as specified in the Schedule.

(3) The Government may grant an increment on the consolidated monthly remuneration on the completion of the first year from the date of commencement of this Act and every year thereafter.

Power to amend Schedule.

6. (1) The Government may, by notification in the Official Gazette, amend the Schedule.

(2) Every notification issued under sub-section (1) shall, as soon as may be after it is issued, be laid before the State Legislature.

Discipline, penalties, appeals and other matters.

7. In the matters relating to discipline, penalties, appeals and other matters not specifically provided under this Act, the guest faculty shall be governed by such rules, as may be prescribed.

Protection of action taken in good faith.

8. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the Government or any officer or employee of the Government or any other person or authority authorized by the Government for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act or of any rules or orders made thereunder.

Act not to be in derogation of any other law.

9. The provisions of this Act shall be in addition to and not in derogation of the provisions of any other law for the time being in force.

Power to make rules.

10. (1) The Government may, by notification in the Official Gazette, make rules to carry out the purposes of this Act.

(2) Every rule made under this section shall, as soon as may be after it is made, be laid before the State Legislature.

Power to remove difficulty.

11. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by an order published in the Official Gazette, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as may appear to it to be necessary or expedient for the purpose of removing the difficulty:

Provided that no order shall be made under this section after the expiry of two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall, as soon as may be after it is made, be laid before the State Legislature.

SCHEDULE

(see section 5)

1.	Health care benefits as notified under the Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PM-JAY) CHIRAYU Extension Scheme or as revised by the Government.
2.	Death-cum-Retirement Gratuity at equivalent rates specified in the Code on Social Security, 2020 (Central Act 36 of 2020).
3.	Maternity Benefit as per the provisions of the Code on Social Security, 2020 (Central Act 36 of 2020).
4.	Benefit of ex-gratia compassionate financial assistance, as may be notified by the Government.

5

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Government of Haryana is of opinion to formulate a policy for the Guest Lecturers/ Guest Instructors/ Assistant Professors who are working in various Government polytechnics/ Government Society Polytechnics/ State Institute of Engineering & Technology (SIETs) a in the State for a long time. Such faculties/ Instructors/Assistant Professors have given prime years of their life to service of the State and there is a lot of uncertainty in their minds regarding their future as most of them have become overage for employment. It is also against the principle of natural justice to relieve such faculties or replace them with another set of persons.

Therefore, taking cognizance of various representations from various faculties there is need to provide a sense of security of tenure to such faculties who have rendered long service in the department in order to avoid uncertainty and mental restlessness.

Hence this bill.

Mahipal Dhanda,
Higher Education Minister,
Haryana.

CHANDIGARH:
The 14th November, 2024

Dr. Satish Kumar,
Secretary.

N.B.– The above Bill was published in the Haryana Government Gazette (Extraordinary), dated the 14th November, 2024, under proviso to rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 10 of the proposed Bill empowers the State Government to frame Rules for carrying out the purposes of the Act. This delegation of powers of the Executive is of a normal character. Hence, the memorandum regarding delegated Legislation as required under Rule 126 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Haryana Legislative Assembly.

[प्राधिकृत अनुवाद]

हरियाणा विधान सभा

2024 का विधेयक संख्या 25 एच. एल. ए

हरियाणा तकनीकी शिक्षा अतिथि संकाय (सेवा की सुनिश्चितता) विधेयक, 2024

अतिथि संकाय/अतिथि अनुदेशकों की सेवा की सुनिश्चितता हेतु और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए उपबन्ध करने हेतु

विधेयक

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ तथा विस्तार।

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा तकनीकी शिक्षा अतिथि संकाय (सेवा की सुनिश्चितता) अधिनियम, 2024 कहा जा सकता है।

(2) यह ऐसी तिथि से लागू होगा, जो सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

(3) इसका विस्तार सम्पूर्ण हरियाणा राज्य में होगा।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अपीलीय प्राधिकारी" से अभिप्राय है, ऐसा अपीलीय प्राधिकारी, जिसे सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निदेशालय हेतु विनिर्दिष्ट करे;

(ख) "नियत तिथि" से अभिप्राय है, 15 अगस्त 2024:

(ग) "समुचित प्राधिकारी" से अभिप्राय है, ऐसा नियुक्ति प्राधिकारी, जिसे सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निदेशालय हेतु विनिर्दिष्ट करे;

(घ) "निदेशालय" से अभिप्राय है, निदेशालय, तकनीकी शिक्षा, हरियाणा;

(ङ.) "सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासकीय विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार;

(च) "अतिथि संकाय" से अभिप्राय है, नियत तिथि को संस्थान में प्राध्यापक, अनुदेशक या सहायक आचार्य के रूप में नियोजित कोई व्यक्ति;

(छ) "संस्था" से अभिप्राय है, निदेशालय के अधीन राजकीय बहुतकनीकी, राजकीय सोसाइटी बहुतकनीकी, राज्य अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी संस्थान;

(ज) "विहित" से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित;

(झ) "अनुसूची" से अभिप्राय है, इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची;

(ञ) "अधिवर्षिता" से अभिप्राय है, अठावन वर्ष की आयु।

पात्रता की शर्तें।

3. पात्र अतिथि संकाय में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे,-

(i) ऐसा व्यक्ति, जिसका नियोजन हरियाणा तकनीकी शिक्षा विभाग (ग्रुप ख) सेवा नियम, 2001 में विहित योग्यताओं के अनुसार 12 नवम्बर, 2019 को या उससे पूर्व किया गया था; या

(ii) जिसे हरियाणा तकनीकी शिक्षा विभाग (ग्रुप ख) सेवा नियम, 2019 में विहित योग्यताओं के अनुसार 12 नवम्बर, 2019 के बाद नियोजित किया गया था; या

(iii) ऐसी शाखाओं में नियोजित व्यक्ति, जिसके लिए उसके नियोजन के समय कोई सेवा नियम लागू नहीं थे, किन्तु उसे विज्ञापन में वर्णित न्यूनतम योग्यताओं के अनुसार नियोजित किया गया था; या

(iv)जो हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा विभाग, तकनीकी क्षेत्रीय अमला (ग्रुप-ग) सेवा नियम, 1998 में विहित योग्यताओं के अनुसार अनुदेशक के रूप में नियोजित किया गया था; या

(v) ऐसी शाखाओं में अनुदेशक के रूप में नियोजित किया गया था, जिसके लिए उनके नियोजन के समय कोई सेवा नियम लागू नहीं थे, किन्तु उसे विज्ञापन में वर्णित न्यूनतम योग्यताओं के अनुसार नियोजित किया गया था; या

(vi) जो संस्था में अतिथि संकाय के रूप में प्राध्यापक, अनुदेशक या सहायक आचार्य के रूप में नियोजित किया गया था और नियत तिथि को क्रमशः प्राध्यापक (अतिथि संकाय) के लिए 53,100/- रूपए, अनुदेशक (अतिथि अनुदेशक) के लिए 35,400/- रूपए और सहायक आचार्य (अतिथि संकाय) के लिए 55,500/- रूपए प्रतिमास के पारिश्रमिक पर सेवा में हैं; तथा

(vii) उसने नियत तिथि को विनिर्दिष्ट कार्यभार पर संस्था में कम से कम पांच वर्ष का नियोजन पूरा कर लिया है ।

व्याख्या:- नियोजन के वर्षों की संख्या की गणना के प्रयोजनों हेतु, किसी अतिथि संकाय, जिसने एक कैलेण्डर वर्ष में कम से कम 240 दिन के लिए कार्य किया हो, को सम्पूर्ण वर्ष के लिए कार्य किया गया समझा जाएगा, किन्तु इसमें निम्नलिखित कर्मचारी शामिल नहीं होगा,-

(क) जिसने नियत तिथि को अठावन वर्ष की आयु पूरी कर ली हो; या

(ख) जिसकी सेवा नियत तिथि को या से पूर्व समुचित प्राधिकारी द्वारा समाप्त कर दी गई हो अथवा हटा दिया गया हो या जिसने त्याग-पत्र दे दिया हो।

नियोजन का कार्यकाल। 4. अतिथि संकाय, संस्था में निरन्तर कार्य करता रहेगा जब तक वह अधिवर्षिता की आयु पूरी नहीं कर लेता।

पारिश्रमिक। 5. (1) अतिथि संकाय, सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार ऐसे पारिश्रमिक के साथ-साथ सरकार द्वारा घोषित प्रत्येक वर्ष जनवरी के प्रथम दिन और जुलाई के प्रथम दिन से प्रभावी महंगाई भत्ते की प्रतिशतता के अनुसार वृद्धि (गैर-चक्रवृद्धि) का हकदार होगा।

(2) अतिथि संकाय, अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट ऐसे अतिरिक्त लाभ भी प्राप्त करेगा।

(3) सरकार, इस अधिनियम के प्रारम्भ की तिथि से प्रथम वर्ष के समापन पर और उसके बाद प्रत्येक वर्ष समेकित मासिक पारिश्रमिक पर वेतनवृद्धि प्रदान कर सकती है।

अनुसूची को संशोधित करने की शक्ति। 6. (1) सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अनुसूची को संशोधित कर सकती है।

(2) उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, इसके जारी किए जाने के बाद, यथाशीघ्र, राज्य विधानमंडल के सम्मुख रखी जाएगी।

अनुशासन, शास्तियां, अपीलें तथा अन्य मामले। 7. अनुशासन, शास्तियों, अपीलों से सम्बन्धित मामलों और अन्य मामलों में, जो इस अधिनियम के अधीन विशेष रूप से उपबंधित नहीं किए गए हैं, अतिथि संकाय ऐसे नियमों द्वारा शासित होगा, जो विहित किए जाएं।

सदभावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण।

8. इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या किए गए आदेशों के अनुसरण में सदभावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए सरकार या सरकार के किसी अधिकारी या कर्मचारी या सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति या प्राधिकारी के विरूद्ध कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अधिनियम का किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में न होना।

9. इस अधिनियम के उपबन्ध, तत्समय लागू किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अतिरिक्त होंगे न कि उसके अल्पीकरण में।

नियम बनाने की शक्ति।

10. (1) सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, इसके बनाए जाने के बाद, यथाशीघ्र, राज्य विधानमंडल के सम्मुख रखा जाएगा।

कठिनाई दूर करने की शक्ति।

11. (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी रूप देने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबन्धों से अन्असंगत ऐसे उपबन्ध कर सकती है, जो इसे कठिनाई दूर करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो:

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ की तिथि से दो वर्ष की समाप्ति के बाद, इस धारा के अधीन कोई भी आदेश नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, इसके किए जाने के बाद, यथाशीघ्र, राज्य विधानमंडल के सम्मुख रखा जाएगा।

अनुसूची

(देखिए धारा 5)

1.	प्रधान मंत्री- जन आरोग्य योजना (पी0एम0-जे0ऐ0वाई0) चिरआयु विस्तार योजना के अधीन यथा अधिसूचित या सरकार द्वारा यथा संषोधित के अनुसार स्वास्थ्य देखभाल लाभ।
2.	सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का केन्द्रीय अधिनियम 36) में विनिर्दिष्ट दरों के समान मृत्यु-एवं-सेवानिवृत्ति उपादान।
3.	सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का केन्द्रीय अधिनियम 36) के उपबन्धों के अनुसार प्रसुति प्रसुविधा।
4.	अनुग्रहपूर्वक अनुकंपा वितीय सहायता लाभ, जो सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए।

उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

हरियाणा सरकार राज्य में कार्यरत अतिथि प्राध्यापकों / अनुदेशकों / सहायक प्राचार्यों के लिए, जोकि विभिन्न राजकीय बहुतकनीकी संस्थान/राजकीय सोसाइटी बहुतकनीकी संस्थान एवं राजकीय अभियांत्रिकी एवं तकनीकी संस्थानों में लम्बे समय से अपनी सेवायें दे रहे है, उनको सेवा सुरक्षा के लिए नीति तैयार करना चाहती है। इन अतिथि प्राध्यापकों /अनुदेशकों / सहायक प्राचार्यो ने अपने जीवन के बहुमूल्य वर्ष राज्य की सेवा में लगाए है और उनके मन में भविष्य को लेकर काफी अनिश्चितता व्याप्त है क्यूंकि इनमें से कुछ की आयु हरियाणा सरकार के सेवा नियमों के लिए निर्धारित आयु सीमा से अधिक हो चुकी है । ऐसे में इन अतिथि संकायों को भार मुक्त करना या नवनियुक्त संकायों से बदलना न्याय संगत नहीं लगता है।

अतः इन अतिथि संकायों के द्वारा दिए गए अनुरोध पत्रों को संज्ञान में लेते हुए, राज्य सरकार इनको सेवा सुरक्षा प्रदान करना चाहती है जो कि लम्बे समय से विभाग में सेवाएं दे रहे हैं, ताकि इनको भविष्य की अनिश्चितता अवं मानसिक अवसाद से राहत मिल सके।

अतः बिल प्रस्तुत है।

महीपाल ढांडा,
उच्चतर शिक्षा मंत्री,
हरियाणा ।

चण्डीगढ़: डॉ. सतीश कुमार,
दिनांक 14 नवम्बर, 2024 सचिव।

अवधेयः उपर्युक्त विधेयक हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 128 के परन्तुक के अधीन दिनांक 14 नवम्बर, 2024 के हरियाणा गवर्नमैंट गजट (असाधारण) में प्रकाशित किया था।

प्रत्यायोजित विधान के संबंध में ज्ञापन

प्रत्यायोजित विधेयक का खण्ड 10 राज्य सरकार को अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है। कार्यपालिका की शक्तिओं का यह प्रत्यायोजित सामान्य प्रकृति का है। इसलिए हरियाणा विधान सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 126 के तहत प्रत्यायोजित विधान के संबंध में ज्ञापन।